

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 39/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 17 अगस्त, 2023

सा.का.नि.__(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 02/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी 2 में तारीख 04 अप्रैल, 2022 से, ---

(i) क्रम सं. 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :-

39	गुंटूर	“आंध्र प्रदेश राज्य में पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, एनटीआर, एलुरु, गुंटूर, बापटला, पालनाडु, प्रकाशम, एसपीएस नेल्लोर के जिले, पूर्वी गोदावरी जिले के कोव्वुर, चागुल्लु, तल्लापुडी, निदादावोल, उंद्रजावरम, पेरावली, देवरापल्ले, गोपालपुरम और नल्लाजेरला मंडल और तिरुपति जिले के गुडुर, चिलकौर, कोटा, वकाडु, चित्तमुर, बलायापल्ली, वेंकटगिरी, दक्किली, ओज़िली, नायडूपेट, पेल्लाकुर, दोरावरिसत्रम, सुल्लुरपेटा और टाडा मंडल। क्षेत्रीय सागरखंड और समुद्र तल और ऐसे सागरखंड के नीचे की उप-मिट्टी, जहां से उचित आधार रेखा का निकटतम बिंदु आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।”;
----	--------	--

(ii) क्रम सं. 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :-

101	तिरुपति	“आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर, वाईएसआर कडपा, अनंतपुर, अन्नामय्या, श्री सत्यसाई, नंद्याल, कुरनूल के जिले और तिरुपति जिले के बुची नायडू, कंद्रिगा, वरदैयापालेम, सत्यवेदु, श्रीकालहस्ती, थोट्टाम्बेदु, रेनिगुंटा, येरपेडु, कुमार वेंकट भूपाला पुरम, नागलापुरम, पिचातुर, नारायणवनम, तिरुपति शहरी, तिरुपति ग्रामीण, चंद्रगिरि, पकाला, रामचन्द्रपुरम, वडामलापेट,
-----	---------	--

		पुत्तूर, येरवारिपलेम और चिन्नगोट्टिगल्लु मंडल।";
--	--	--

iii. क्रम सं. 107 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :-

“107	विशाखापत्तनम	“आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनारकपल्ली, अल्लूरी सितारामराजू, पार्वतीपुरमण्यम, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा, काकीनाडा के जिले और पूर्वी गोदावरी जिले के राजमहेन्द्रवरम शहरी, राजमहेन्द्रवरम ग्रामीण, कादियाम, राजनगरम, सीतानगरम, कोरुकुंडा, गोकावरम, अनापर्थी, बिककावोलु और रंगमपेटा मंडल।
------	--------------	---

[फा.सं. सीबीआईसी-20016/18/2023-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)
निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 02/2017-केन्द्रीय कर, 19 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में संख्यांक सा.का.नि. सं. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में संख्यांक सा.का.नि. सं. 18 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 02/2021-केन्द्रीय कर, 12 जनवरी, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 193(अ), तारीख 11 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 02/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 11 मार्च, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।